

डिक्री

(आ० 20 नियम 8 / आ० 10)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी नाण्डल जिला पीलवाडा राजस्थान

वर्जलास श्री श्री. एल. शर्मा (आ० 10/20/18)

अनुदान प्रकारण

- श्री बाबु पिता सवाईराम कुम्हार, आयु वालिया, निवासी-लसाडिया, तह-माण्डल,
- श्री उडा पिता सवाईराम कुम्हार, आयु वालिया, निवासी-लसाडिया, तह-माण्डल
- श्री भाबु पिता सवाईराम कुम्हार, आयु वालिया, निवासी-लसाडिया, तह-माण्डल
- लादी पुत्री डालु कुम्हार, आयु वालिया, निवासी-लसाडिया, तह-माण्डल
- श्रीमति मोक्षी पत्नी डालु कुम्हार, आयु-वालिया, निवासी-लसाडिया, तह-माण्डल
- श्री भागौरप पिता मोती कुम्हार, आयु-वालिया, निवासी-लसाडिया, तह-माण्डल

बनान

1. श्री कस्तुरी पिता श्री हजारीजी गुर्जर, आयु वालिया, निवासी लसाडिया, तह-माण्डल
2. श्री गणजी पिता श्री हजारीजी गुर्जर, आयु वालिया, निवासी लसाडिया, तह-माण्डल
3. श्रीमति ~~...~~ इंजा पत्नी श्री हजारी जी गुर्जर आयु वालिया निवासी लसाडिया, तह-माण्डल
4. राजस्थान राज्य, जसिमे तहसीलदार सखन माण्डल, तह-माण्डल

निवेदन

वाद अन्तर्गत धारा 188 मुकदमा नं०/घम 19/18 निर्णय दिनांक 25-5-18

यह मुकदमा आज अदालत वाद उनफिसल कतई स्पष्ट अदालत व हिजरी बकाल धारे  
मिनजानिव मुददई व श्री पवन शर्मा AWO नालानिव मुदावला पश होकर हुवन  
दिया जाता है कि डिक्री दी जाता है कि अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम

लसाडिया तहसील-माण्डल मे स्थित आराजी नं० 513, 514, 519 कुल  
डिवा 03 खावा 05 बिस्वा जिसमे तहसीलदार माण्डल को मौका  
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। जिसमे वादी एव उतिवादी के मध्य  
राजस्व रेकार्ड के अनुसार पैमाईश कर (नाप-धौप) वादी की उनडे  
व उतिवादी को इनके एक हिस्सेनुसार जमीन स्पुर्द की जायेगी

एवर्चा फरिडेन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख 25-5-18 को मर तहसीलदार व न्यायालय की मांडल उ जसो का  
गई।

उपखण्ड कलविद्यारी  
नाण्डल जिला-पीलवाडा